न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0– 56/2016

1. सुशीला देवी पत्नी स्व. सोहनलाल 2. जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. सोहनलाल सेठिया निवासीगण भीनासर तहसील व जिला बीकानेर

प्रार्थीगण.....

–:बनाम:–

1. स्टेट जरिये राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार राजस्व बीकानेर
2. रामनारायण 3. टोड़रराम पुत्रगण लाभूराम जाति निवासीगण गुसाईसर तहसील व जिला बीकानेर

....अप्रार्थीगण...

अपील अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति अभिभाशक:–

1. सोमदत्त पुरोहित प्रार्थीगण के लिए।
2. सत्यपाल सहू अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 लिए।
3. श्री पैरोकार राज,

–:निर्णय:–

दिनांक– 17/03/2020

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए के अधीन प्रस्तुत कर निवेदन किया। संक्षेप में प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 16.11.18 को न्यायालय हाजा में जरिये अभिभाषक द्वारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गुसाईसर के ख.न.850 व 856 तादादी 21 बीघा 40 बिस्वा (5.35 हैक्टर) स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पति व पिता सोहनलाल पुत्र नेमचन्द सेठिया के नाम से खातेदारी की थी। उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये विरासतन् इंतकाल दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण के कृषि भूमि के पूर्व की तरफ खसरा संख्या 1180/851 व 852 स्थित है, जो गैर मुमकिन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण के उक्त कृषि भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड मे व राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है। पूर्व में प्रार्थीगण के पति व पिता सोहनलाल ने खसरा संख्या 851/1,852/2 व 851/3 के खातेदार रामनारायण व टोडरराम पुत्रगण लाभूराम के खातेदारी भूमि में से रास्ता लेने बाबत एक करार किया था और उसी अनुसार रास्ते का उपयोग कर रहे थे। प्रार्थीगण ने उक्त करार के आधार पर तहसीलदार राजस्व को राजस्व नक्शें व रिकार्ड में अंकन करने हेतु आवेदन किया तो उन्होने यह कहकर प्रार्थीगण का आवेदन अस्वीकार कर दिया कि उक्त भूमि की बात जो करार किया गया है, वह पंजीबद्व नही है। खसरा संख्या 851/1,852/2 व 851/3 के खातेदार रामनारायण व टोडरराम ने वर्तमान में अपनी कृषि भूमि में से कुछ

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

भूमि राजकीय चिकित्सालय बनाने हेतु गिपट की है और प्रार्थीगण के रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसे में प्रार्थीगण के कृषि भूमि मेंजाने के लिये कोई रास्ता उपलबध नही है। प्रार्थीगण के भूमि के पूर्व दिशा की तरफ खसरा संख्या 1180/851 व 852 आराजीराज के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि में खसरा संख्या 1180/851 व 852 में से रास्ता प्रदान करने के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नही हो सकता। ऐसे में उपरोक्त सरकारी अराजीराज भूमि जो प्रार्थीगण के भूमि के पूर्व की और जो सड़क तक जाती है ,मे से नियमानुसार जो भी शुल्क श्रीमान जी तय करें वह प्रार्थीगण देने को तेयार है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम गुसाईसर तहसील बीकानेर के ग्राम 850 व 856 तादादी 5.35 हैक्टेयर मे आने जाने हेतु अराजीराज भूमि खसरा नम्बर 1180/851 व 852 में प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु व उनकी भूमि तक पहुँचने हेतु नया मार्ग प्रदान किया जावे। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 25.4.19 के अनुसरण में निकटतम दूरी पर से जो कि खसरा न. 851/3 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 कि खातेदारी की है जिनके साथ प्रार्थीगण का रास्ते के लिए इकरार हो रख है और जो निकटम रास्ता है और जिसे खुद अप्रार्थी स. 2 व 3 ने खसरा स. 851 के पश्चिम में 6 मीटर जोडा छोड़ा है पर से प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। इस हेतु जो भी शुल्क देय हो वह प्रार्थीगण अदा करने के लिए तैयार है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स्टेट को जवाब हेतु तलब किया। अप्रार्थी स्टेट द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि की तरफ अराजी राज खसरा नम्बर 852 व 1180/851 स्थित है तथा ख.न. 851/1 प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र गुसाईसर के नाम से दर्ज है। ख.न.851/1 के पश्चिम की और 6 मीटर चौड़ा 74 मीटर लम्बा रास्ता जिसका रकबा 0.044 हैक्टर ,ख.न. 851/3 है। उक्त रास्ते बाबत् प्रार्थीगण द्वारा रामनारायण ,टोडर पिसरान लाभूराम जाति जाट के साथ आपस में इकरार किया हुआ है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। उक्त रास्ता मौके पर बन्द है। स्टेट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.6.17 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रतिवादी पक्षकार दो व तीन पर रामनारायण व टोडर को संयोजित करने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.6.19 को वकील प्रार्थी को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 25.6.19 को वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक मय तलबाना नोटिस प्रस्तुत किये। दिनांक 20.8.19 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की तरफ से श्री सत्यपाल सहू वकील उपस्थित आये व दिनांक 8.11.19 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुसाईसर के ख.न. 850 व 856 तादादी 5.35 हैक्टर में आने जाने हेतु आराजीराज ख.न. 1180/851 व 852 में प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जा

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

सकता है , स्वीकार है। अप्रार्थीगण की भूमि में राजकीय हॉस्पीटल हेतु भूमि गिफ्ट कर दिये जाने से अप्रार्थीगण के खेत के टुकड़े हो जाने से रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है। ख.न. 849 में 851 की बजाय 849 के पूर्वी कोने पर रास्ता मंजूर किया जावे तो आदी लम्बाई का रास्ता मंजूर किये जाने से प्रार्थीगण को रास्ता मिलता है। इसलिए अस्वीकार है। इसके अलावा उजरात मजिद में निवेदन किया की प्रार्थीगण के खेत के उत्तर दिशा में चिपता ख.न. 849 के पूर्वी कोने पर सबसे कम दूरी व बिना खेत के टूकड़े किये रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के मध्य हुए समझौते के अनुसार यदि प्रार्थीगण दिनांक 12.9.2001 के एक्सेचज डीड लिखवाकर उपपंजींयक से तस्दीक करावे तो अप्रार्थीगण इस हेतु भी तैयार है। अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया व पैरोकार राज द्वारा राज्यहीत को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र ,जवाब,बहस तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के पास आने–जाने के लिए रास्ता नही है। रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। जो रास्ता चाहा है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट व आईएलआर की जांच रिपोर्टनुसार खसरा 849 की पूर्वी सीमा से न्यूनतम रास्ता है। लेकिन उक्त भूमि ओघोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है। जिसमें रास्ता स्वीकृत करना हमारी राय में उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त 2 रास्तों से प्रार्थी अपनी भूमि में आना जाना कर सकता है :–

1. खसरा संख्या 852 की पश्चिम सीव से होते हुए खसरे 1180/851 के उत्तरी सींव से अपने खेत 850 में जा सकता है। (जो पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 4.1.2019 में नीले रंग से दर्शायी हुई है।
2. खसरा संख्या 851/3 जो पटवारी रिपोर्ट में हरें रंग से दर्शायी हुई है। इन दोनों रास्तों में प्रार्थी का निकटतम रास्ता 851/3 से होता हुआ स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त जमाबन्दी में 851/3 खसरे का अंकत तहसीलदार बीकानेर का आदेश दिनांक 16.8.2018 के द्वारा किया गया। उक्त आदेश की तहसील में जाचं करने पर स्पष्ट हुआ कि 851 में 0.32 हैक्टर राजकीय चिकित्सालय हेतु दान में देने के बाद 851 मूल खसरा 3 खसरों 851/1,851/2,851/3 टुकड़ों मे बंट गया। 851/1 राजकीय भूमि हेतु दान दिया गया ,851/3 की 0.044 है. एवं 851/2 की 0.136 है. भूमि जो रामनारायण टोडर के नाम रह गई। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 4.1.19 में यह स्पष्ट है कि 851/3 की 0.044 है. में रास्ता बना हुआ है और रास्ता मौके पर बन्द है। इससे यह स्पष्ट है कि न केवल 851/3 से रास्ता निकटतम होगा, बल्कि यह रास्ता ही दिया जाना उचित होगा। क्योकि 851/1

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

राजकीय चिकित्सालय के लिए जिस तरह जमीन दान में दी गई ,851/3 को छोड़ते हुए उसमें 851/3 रकबा के रास्ता के अलावा किसी और उपयोग में लिया जाना प्रतीत नहीं होता है। यह बिन्दू Exchange deed दिनांक 12.9.2001 से भी सिद्व होता है।

अब न्यायालय के सामने उक्त Exchange deed में अंकित तथ्यों का प्रश्न है। क्योंकि Exchange deed पर क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नही है। इसके लिए प्रार्थी अप्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में उक्त Exchange deed हेतु जो जमीन आदान–प्रदान की सहमती हुई है, उसे आपत्ति नही है। यानी अप्रार्थी जमीन रास्ते के लिए छोड़ने हेतु सहमत है। अगर उसे प्रार्थी DLC अनुसार राशि नहीं जमीन के बदले जमीन दे। 2019 (2) RRT 1210 राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय मातादीन बनाम हरिसिंह में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि–''प्रतिकर का तात्पर्य केवल राशि से नही बल्कि यह किसी भी प्रारूप में हो सकता है– भूमि से बेहतर प्रतिकर नहीं है– भूमि के बदले भूमि दी जा सकती है''।

अतः यह न्यायालय ग्राम गुसाईसर के खसरा नम्बर 851/3 में पटवारी रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार रास्ता स्वीकार करने के आदेश देती है। प्रार्थी इस रास्ते के बदले अपनी भूमि में से रास्ते में आ रहे रकबे के जितना रकबा अप्रार्थी को देना सुनिश्चित करे। तहसीलदार बीकानेर उक्त आदेश की पालना 15 दिवस में करवाते हुए पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 17-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.03.20 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: